न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2845–तीन/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 02–5–2013 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 06/अ–19/2012–13

चन्दरसिंह आत्मज श्री भावसिंह
निवासी ग्राम भरतपुरा तहसील
खिलचीपुर जिला राजगढ़

----- आवेदक

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन द्वारा जिलाध्यक्ष जिला राजगढ़
2. बलराम आत्मज स्व0 श्री दयाराम
3. गोरधन आत्मज स्व0 श्री दयाराम मृतक वारि0–
   1–नर्वदीबाई पत्नी गोरधन
   2– बनेसिंह आत्मज स्व0 गोरधन
   3– दिनेश, रोहित पुत्रगण गोरधन
   निवासी ग्राम रूगनाथपुरा तहसील खिलचीपुर
   जिला राजगढ़

----- अनावेदकगण

श्री प्रेमसिंह ठाकुर, अभिभाषक –आवेदक

:: आदेश ::

(दिनांक 27 जनवरी 2016 को पारित)

यह निगरानी, आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 02–5–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 2 बलराम द्वारा की गई शिकायत पर कार्यवाही करते हुये अनुविभागीय अधिकारी खलचीपुर ने तहसीलदार खिलचीपुर से पत्र कमांक 2139 दिनांक 3–8–11 से जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। उक्त पत्र के

पालन में अनुविभागीय अधिकारी को तहसीलदार खिलचीपुर का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जिसमें बलराम के पिता गोरधन ने पिता दयाराम के नाम से वर्ष 1974 में ग्राम सेमली काकड स्थित भूमि सर्वे कमांक 105 रकवा 2.23 हे0 का पट्टा हुआ था। पट्टाधारी की मृत्यु के बाद उक्त भूमि गोरधन के नाम से आई। गोरधन के द्वारा चन्दरसिंह पिता भाउसिंह सोधिया के नाम से सर्वे कमांक 105/13/3 रकबा 1.011 हे0 का विकय पत्र निष्पादित करवाया। विकय पत्र के आधार पर उक्त भूमि का वर्तमान में चन्दरसिंह का नाम रिकार्ड में दर्ज है। विकेता गोरधन पिता दयाराम ने भूमि विकय करने से पूर्व कलेक्टर से अनुमति नहीं ली गई है। पट्टाधारी के द्वारा पट्टा की शर्तों का उल्लंघन किया है। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण कलेक्टर राजगढ़ की ओर प्रेषित किया। अपर कलेक्टर राजगढ़ ने प्रकरण कमांक 6/अ–19/12–13 स्वमेव निगरानी में पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 2–5–13 के द्वारा अनावेदक दयाराम, बलराम, गोरधन एवं आवेदक चन्दरसिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अपर कलेक्टर के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर कलेक्टर न्यायालय ने आदेश पारित करने के पूर्व आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया और नही विधिवत जांच की गई। यह भी तर्क में दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित कार्यवाही करने के पूर्व म0प्र0 भू–राजस्व संहता में प्रकरण को निगरानी में लिये जाने बावत समय–सीमा निर्धारित की गई है, परन्तु अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण लगभग 19 वर्ष बाद मात्र शिकायत के आधार पर स्वमेव निगरानी के आधार पर आवेदक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने में त्रुटि की है। तर्क में यह भी कहा कि विचाराधीन प्रकरण में अधिनियम की धारा 165(7ख) के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया है क्योंकि मूल पट्टेदार स्व0 दयाराम को वर्ष 1974–75 में भूमि आवंटित की गई थी तथा

आवंटन के 10 वर्ष उपरांत ही दयाराम को भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो चुके थे तथा दयाराम की मृत्यु के पश्चात फौती नामांतरण उत्तराधिकारियों के नाम हो गया था तथा आवेदक ने उत्तराधिकारियों से ही वर्ष 1992 में भूमि कय की है। परिणाम स्वरूप अधिनियम की धारा 165(7बी) के प्रावधान इस प्रकरण में लागू ही नहीं होगे। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अपर कलेक्टर द्वारा की जा रही कार्यवाही निरस्त की जाये।

4/ अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अनावेदक कमांक 2 ने शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि अनावेदक के पिता को प्रश्नाधीन भूमि पट्टे पर दी गई थी। आवेदक ने फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर अनावेदक की भूमि को कय करना बताया और नामांतरण भी करा लिया। जब अनावेदक को जानकारी हुई तब शिकायत की गई। यह भी तर्क दिया कि अनावेदक की शिकायत के आधार पर अपर कलेक्टर ने प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिया है। तर्क में यह भी कहा कि अनावेदक के भाई गोरधन ने किसी प्रकार की कोई रजिस्ट्री नहीं की है। फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर आवेदक ने नामांतरण भी करा लिया है।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार खिलचीपुर ने प्रकरण कमांक 503/बी–121/11–12 में जारी प्रतिवेदन दिनांक 11–5–12 को अनुविभागीय अधिकारी को प्रेषित कर अवगत कराया कराया कि ग्राम सेमली काकड स्थित भूमि सर्वे कमांक 105 रकवा 2.23 हे0 का पट्टा दयाराम को किया गया था। पट्टाधारी दयाराम की मृत्यु के बाद उक्त भूमि उसके पुत्र गोरधन के नाम से आई। गोरधन के द्वारा चन्दरसिंह पिता भाउसिंह सोधिया के नाम से सर्वे कमांक 105/13/3 रकबा 1.011 हे0 का विकय पत्र निष्पादित करवाया। विकय पत्र के आधार पर उक्त भूमि का वर्तमान में चन्दरसिंह का नाम रिकार्ड में दर्ज है। विकेता गोरधन पिता दयाराम ने भूमि

विकय करने से पूर्व कलेक्टर से अनुमति नहीं ली गई है। उक्त प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी ने अपर कलेक्टर को भेजा जिस पर अपर कलेक्टर ने म0प्र0 भू–राजस्व संहता 1959 की धारा 165(7–ख) के अन्तर्गत कलेक्टर (सक्षम अधिकारी) से बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये भूमि विकय करने के कारण प्रकरण 6/अ–19/12–13 स्वमेव निगरानी में दर्ज कर आवेदक सहित अनावेदक कमांक 2 एवं 3 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया। चूंकि शासकीय भूमि का विकय बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के किया गया है इसी आधार पर प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण में मात्र कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है जहां आवेदक सहित अनावेदक कमांक 2 एवं 3 के वारिसों को अपना जबाव पेश करना है। जो तर्क आवेदक द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत किये जा रहे हैं वह अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। अपर कलेक्टर के प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक की ओर से प्रकरण में दिनांक 7–10–13 को जबाव भी प्रस्तुत कर दिया गया है तथा वर्तमान में प्रकरण बहस हेतु नियत है। उभय पक्ष को अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर उपलब्ध है। अधीनस्थ न्यायालय में आवेदक के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं हुआ है जिससे वह व्यथित हों। अतः इस स्तर पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी में कोई आधार स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होने से निगरानी निरस्त की जाती है। प्रकरण अपर कलेक्टर राजगढ़ को अग्रिम कार्यवाही हेतु वापस भेजा जाये।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर